बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर

अधिसूचना

21 जून 2025

भागलपुर नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2025

(प्रस्तावित)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भागलपुर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर विज्ञापनों तथा इस तरह की अन्य युक्तियों का भागलपुर नगरपालिका क्षेत्राधिकार में प्रदर्शन को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 419 (1) के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—

(i) यह नियमावली "भागलपुर निगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(ii) यह राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

(iii) भागलपुर निगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2025" के अधिसूचित होने के बाद "भागलपुर नगर निगम (विज्ञापन एवं सदृश उपकरणों के प्रदर्शन एवं प्रयोग सम्बन्धी अनुज्ञा) विनियम, 2023" निरस्त माना जायेगा।

(iv) यह नियमावली भागलपुर के नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी स्थान एवं क्षेत्रों में विज्ञापनों और इसी प्रकार के उपकरणों के प्रदर्शन से संबंधित सभी मामलों पर अनुप्रयोज्य (लागू) होगा।

2. परिभाषाएँ—इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007।

(ii) **"विज्ञापन"** से अभिप्रेत है— जनसंचार हेतु वाणिज्यिक अर्थ में एक उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए किसी भी माध्यम से किया गया कोई प्रदर्शन, जिसमें कोई घोषणा, शब्द—निर्देश, पत्र, प्रतिरूप, संकेत आदि चाहे वह पोस्टर, होर्डिंग बोर्ड, बैनर, अस्थाई महेराब, प्रकाशित—पटल, नाम—पट्ट, दिशा—सूचक पट्ट आदि किसी भी तरीके से किया गया है।

(iii) **"विज्ञापन—क्रिया"** से अभिप्रेत है विज्ञापन प्रदर्शित करने की क्रिया या प्रक्रिया।

(iv) **"एजेंसी"** से अभिप्रेत है एक आवेदक जो एक व्यक्ति, पंजीकृत दात्री (चैरिटेबल) संस्था, फर्म

(प्रतिष्ठान), साझेदारी संस्था या कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई कम्पनी हो

सकती है।

(v) **"बिलबोर्ड / होर्डिंग"** से अभिप्रेत है एक बड़े क्षेत्रफल वाला विज्ञापन उपकरण जो कि एक
विज्ञापन पैनल के रूप में है तथा इस विज्ञापन पैनल को किसी भौतिक संरचना यथा जमीन अथवा भवन पर इसकी नींव के साथ लगाया गया है।

(vi) **"भवन–रखेा"** से अभिप्रेत भूमि की उस सीमा से है, जिस तक किसी इमारत की नींव विधिवत् रूप से विस्तारित की जा सकती है, जो किसी मार्ग को या मार्ग के विस्तार अथवा भविष्य में पथ–निर्माण हेतु निर्धारित या आरक्षित भूमि की एक पट्टिका से संसक्त है तथा यह रखेा अथवा सीमा जो संबंधित नगर निगम के क्षेत्राधीन या इसके द्वारा अनुमोदित नक्शे अथवा समन्वित योजना अथवा स्कीम के अंतर्गत उल्लेखित है।

(vii) **"व्यवसायिक भवन"** से अभिप्रेत है ऐसा भवन जो पूर्णतः या आंशिक रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग या विनिर्मित किया जा रहा है, अथवा किया जाना है।

(viii) **"सक्षम प्राधिकार"** से अभिप्रेत है नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी अथवा कोई अधिकारी अथवा समिति जिसे नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है।

(ix) **"विभाग"** से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग।

(x) **"नगर निकाय"** से अभिप्रेत है, भागलपुर नगर निगम।

(xi) **"प्रदर्शन"** से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जो जन–साधारण के लिए दृश्यमान है।

(xii) **"इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग"** से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन उपकरण जिसका दृश्य–पटल (डिस्प्ल) एलईडी (लाइट इमिटिंग डायोड) या एलसीडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक–स्त्रोत से निर्मित है तथा इसके द्वारा किसी कंप्यूटर–प्रोग्राम, सॉफ़्टवेयर अथवा किसी अन्य माध्यम की सहायता से किसी चलित–सन्देश, सचूना अथवा विज्ञापन का प्रदर्शन किया जाता है।

(xiii) **"प्रपत्र"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र।

(xiv) **"इंडियन रोड कांग्रेस या आईआरसी"** से अभिप्रेत है इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्मित इंडियन रोड कांग्रेस संहिता, विनियम एवम् समय समय पर जारी किये गये सम्बंधित निर्देश।

(xv) **"चौराहे"** से अभिप्रेत है समान स्तर पर मिलने वाले या गुजरने वाले दो या दो से अधिक मार्ग।

(xvi) **"सार्वजनिक भवन"** से अभिप्रेत है ऐसा भवन जिसका निर्माण अथवा उपयोग अथवा अंगीकृत (स्थायी अथवा अस्थायी रूप से) सार्वजनिक पूजा–स्थल के रूप में, थिएटर, छात्रावास, शासकीय–कार्यालय, सार्वजनिक हॉल, सार्वजनिक कॉन्सर्ट घर, सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष, सार्वजनिक प्रदर्शन–कक्ष के रूप में या सार्वजनिक सभा–स्थल के रूप में या ऐसे ही किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता हो।

(xvii) **"सार्वजनिक स्थान"** से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जो जन–सामान्य के उपयोग के लिए खुला हो।

(xviii) **"सार्वजनिक पथ"** से अभिप्रेत है कोई पथ, सड़क, गली या खुला रास्ता या ऐसा मार्ग जिस पर जन–साधारण को आवागमन का अधिकार हो या जो साधारणतया जन–साधारण द्वारा आवागमन हेतु उपयोग किया जाता है तथा इसमें आवागमन के अधिकार वाले सार्वजनिक मार्ग अथवा उसका कोई भाग, फुटपाथ भी शामिल है।

(xix) **"सड़क यातायात संकेत"** से अभिप्रेत है आई आर सी अथवा अन्य किसी अधिसूचित

अधिनियम द्वारा जारी किये गए यातायात–संकेत एवं यातायात–संकेतक।

(xx) **"स्व विज्ञापन"** से अभिप्रेत है स्वामी जो की अपने ब्रांड के दूकान, भवन अथवा अधिष्ठान के अलावा किसी अन्य ब्रांड के विज्ञापन को प्रदर्शित कर रहा है।

(xxi) **"स्ट्रीट फर्नीचर विज्ञापन"** से अभिप्रेत ऐसे विज्ञापन से है जो इस प्रकार की लोक–सुविधाओं

या सार्वजनिक–संरचनाओं पर लगाए जाते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य विज्ञापन नही है जिसमे सम्मिलित है–बैठने की बचें , पौधों का घेरा, फुटपाथ, कचरा–पात्र, पोल पर लगे कचरा–पात्र, सार्वजनिक परिवहन आश्रय–स्थल, फुटपाथ पर लगी घड़ी, उपनगरों और मार्गों के शीर्षक–पट्ट, पेय–जल वाले स्थल आदि पर लगे विज्ञापन जो स्ट्रीट फर्नीचर एक उचित आकार एवम् प्रतिरूप के होने के साथ ही अपने प्रयोजनमूलक उद्देश्य को पूरा करते हैं, जिन पर विज्ञापन प्रत्यक्षतः चिपकाया या लगाया या पैनल के रूप में खड़ा किया जा सकता है।

(xxii) **"स्ट्रक्चरल इंजीनियर"** से अभिप्रेत है, एक व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अथवा वैदेशिक–विश्वविद्यालय से सिविल अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर हो अथवा भारतीय अभियन्त्रिकी संस्थान या इसके समकक्ष किसी सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन का कॉर्पोरेट सदस्य हो, एवं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग अभियान्त्रिकी में स्ट्रक्चर डिजाइनिंग तथा स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में फील्ड वर्क संबंधी न्यनूतम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

(xxiii) **"संरचना"** से अभिप्राय है एक आधार, स्तम्भ, पेड़, पुल, आरोह, सड़क की सतह तथा ट्राम कार, ओमनीबस, कोई अन्य वाहन अथवा चलित बोर्ड जिसका उपयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन–माध्यम के लिए किया गया हो।

(xxiv) **"ट्रेलर विज्ञापन"** से अभिप्रेत है स्थिर अथवा चलायमान विज्ञापन जो एक ट्रेलर, साइकिल अथवा वाहन पर आरूढ़ या जड़ा हुआ हो, जिसका एकमात्र उद्देश्य विज्ञापन करना है।

(xxv) **"त्रिदर्शीय विज्ञापन"** से अभिप्रेत ऐसे होर्डिंग से है जिसमे तीन धाराएँ (पैनल) एक साथ घूमते रहते हैं और ये तीनों एक के बाद दसूरा तीन विभिन्न विज्ञापनों को दिखाते हैं और तीन–तीन संवादों को विज्ञापित करते हैं। इसका प्रदीपन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

3. विज्ञापन उपकरणों का वर्गीकरण

3.1 विज्ञापन युक्तियों की श्रेणियाँ–

3.1.1 श्रेणी 1–वृहद् आकार वाले विज्ञापन, जो की मख्य रूप से होर्डिंग/यूनिपोल, पुल और फलाईओवर–पैनलो पर स्थापित हैं।

3.1.2 श्रेणी 2–सार्वजनिक सुविधा–स्थलों जैसे सार्वजनिक शौचालयों, कचरा–संग्रहण–स्थलों पर लगे विज्ञापन।

3.1.3 श्रेणी 3–वाहन–बेड़ा और यातायात संबधी संरचनाओं पर लगे विज्ञापन।

3.1.4 श्रेणी 4–अपने ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड के स्व–विज्ञापन के हेतु संस्थापित विज्ञापन युक्तियाँ।

उपर्युक्त वर्णित विज्ञापनों की श्रेणियों में अस्थायी रूप में स्थापित विज्ञापन जैसे शासकीय अथवा राजनीतिक विज्ञापन जिन्हें किसी अवसर पर प्रदर्शित किया गया है भी सम्मिलित हैं। उदाहरणतया, वृहद् आकार के सज्जा–द्वार आदि जैसे विशिष्ट प्रकार के विज्ञापनों को 'श्रेणी–1 वृहद् आकार'के विज्ञापनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

3.2 नगर निगम क्षेत्र में उपरोक्त वर्गीकृत विज्ञापन–श्रेणियो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थाओं या सांस्कृतिक संगठनों द्वारा प्रदर्शित गैर–वाणिज्यिक दीवार–पेंटिंग को नगर निगम द्वारा अनुमति दी जा सकती है परन्तु ये पेंटिगं क्षत्रे के सौंदर्य–वर्धन एवं विषय के प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, एसे दीवार पेंटिंग की अनुमति प्रदान किये जा सकने वाले क्षेत्र और स्थान नगर निगम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएंगे।

3.3 उपरोक्त वर्णित विज्ञापन युक्तियों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापन युक्तियाँ जिन्हें वर्तमान में विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है परन्तु भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, ऐसे विज्ञापन युक्तियों को इस नियमावली के सामान्य मानदण्डों के आलोक में ही स्थापित एवं प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. विज्ञापन के लिए क्षेत्र का निर्धारण।–

4.1 नगर निकाय विज्ञापन दरों की सभांवना के अनुसार अपने संबंधित क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करेगा। क्षेत्रों को अधिसूचित करते समय, नगर निकाय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करेगा:-

क. क्षेत्र की विज्ञापन क्षमता के अनुसार क्षेत्रों को अधिसूचित किया जायेगा। नगर निकाय समान विज्ञापन क्षमता वाले क्षेत्र को नगर निकाय में शामिल किया जायेगा, ऐसे क्षेत्र की पहचान की जायेगी, उन्हें एक साथ क्लब किया जाएगा।

ख. क्षेत्र की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। हालाँकि क्षेत्र की संख्या नगर निकाय इस तरह सेकरेंगे कि इस नियमावली को कार्यान्वित करने में आसानी हो सके।

ग. क्षेत्रों को अच्छी तरह से सीमांकित किया जायेगा।

घ. भविष्य में क्षेत्र की संख्या को नगर निकाय बढ़ा या घटा सकते हैं। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग को जानकारी दी जायेगी।

5. विज्ञापन से राजस्व –

(i) <u>सभी श्रेणियों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क –</u>

(क) प्रत्येक व्यक्ति अथवा एजेंसी जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग,फ्रेम, आधार या संरचना पर या किसी भी वाहन पर कोई विज्ञापनस्थापित, प्रदर्शित, चिपकाता अथवा प्रतिधारित करता है अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है जिसे सार्वजनिक पथ अथवा सार्वजनिक स्थान से देखा जा सकता है (जैसे सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से प्रदर्शित किसी भी विज्ञापन सहित) को केन्द्रीकृत व्यवस्था के अधीन नगर निकायों के पांच कलस्टर (समूह) में वर्गीकरण के आधार पर अनुज्ञप्ति शुल्क देना होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क पर G.S.T. देय होगा।

(ग) सभी प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल/ई–प्रोक (e-Proc) के माध्यम से की जाएगी।

(ii) श्रेणी 1, 2 एवं 3 के विज्ञापन युक्तियों के लिए विज्ञापन शुल्क । – प्रत्येक व्यक्ति अथवा एजेंसी जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, आधार या संरचना पर या किसी भी वाहन पर कोई विज्ञापन स्थापित, प्रदर्शित, लगाता अथवा प्रतिधारित करता है अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से कोई विज्ञापन करता है, जिसे सार्वजनिक पथ अथवा सार्वजनिक स्थान से देखा जा सकता है (जैसे सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से प्रदर्शित किसी भी विज्ञापन सहित) ऐसे हर एक विज्ञापन के लिए विज्ञापन शुल्क देना होगा। विज्ञापन शुल्क ई–निविदा/ई माध्यम से बोली प्रक्रिया के आधार पर तय किया जायेगा (विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण अनुलग्नक–1 तथा श्रेणियों का उल्लेख अनुसूची–1 में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से अनुलग्नक–1 में वर्णित विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।

(iii) श्रेणी के लिए विज्ञापन शुल्क (श्रेणी 4 में उल्लिखित उपकरण)।

स्वयं के ब्राडों के अलावा स्वयं साइनेज के लिए विज्ञापन उपकरण/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक, जो खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक करता है या बनाए रखता है या भवन/सम्पत्ति का वह भाग, जहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपना व्यवसाय बंद कर रहा है, ऐसा कोई भी स्व–साइनेज विज्ञापन, या जो सार्वजनिक दृश्य के लिए या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाला कोई ऐसा स्व–चिन्ह विज्ञापन प्रदर्शित करता है, ऐसे प्रत्येक के लिए भुगतान करेगा। साइनेज डिस्प्ले जो खड़ा, प्रदर्शित या बरकरार रखा गया है या जनता को देखने के लिए एक विज्ञापन शुल्क है। विज्ञापन शुल्क प्रति वर्ग फीट के आधार पर तय किया जायेगा। स्व–साइनेज विज्ञापन शुल्क के दर का निर्धारण नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

हालाँकि ऐसे मामलों में, इस नियम में श्रेणी 4 उपकरणों के लिए निर्धारित समान्य शर्तों के अनुसार स्व–साइनेज को सख्ती से स्थापित/प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) असाधारण परिस्थिति।–रेलवे विज्ञापन के माध्यम से अर्जित राजस्व का 25 प्रतिषत नगर निगम के पास उपलब्ध करायेगा, जहाँ विज्ञापन प्रदर्षित करने के लिए उनके या विज्ञापनदाता द्वारा उनके क्षेत्र में संरचना का निर्माण या स्थापित किया गया है और यह उस पर चलने वाले वाहनों के यातायात का सामना करता है। या किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान (सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्षित किसी भी विज्ञापन सहित) से दिखाई देनेवाले किसी भी तरीके से सार्वजनिक दृष्य में आता है।

(v) छूट योग्य मामला।–

क. सरकारी परिसरों या कुछ अवसरों पर आरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी विज्ञापनों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। हालाँकि ऐसे विज्ञापन सीमित अवधि के लिए प्रदर्षित किये जायेंगे और किसी भी मामले में या ऐसी किसी अवधि में 20 दिनों से अधिक (एक वर्ष में) नही दिखाए जायेंगे। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

ख. पथ निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये रोड साइनेज जैसे सरकारी साइनजे के लिए काई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, सरकारी साईनेज भी इस नियमों की

आवश्यकताओं का पालन करेंगे और नगर निगम शहर भर में इस तरह के साइनेज के लिए एक सौंदर्यपूर्ण, समान और विषयगत डिजाईन को प्रोत्साहित करेंगे।

6. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।—

(क) ई—निविदा/ई माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, विज्ञापनकर्ताओं को केन्द्रीकृत व्यवस्था के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति शुल्क की वैद्यता तीन वर्ष की होगी।

(ग) अनुज्ञप्ति शुल्क की समाप्ति की तिथि के उपरांत विज्ञापनकर्ता को प्रति वर्ष अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क **अनुलग्नक 1(A)** में उल्लेखित दर के अनुरूप लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण — विभाग समय—समय पर अधिसूचना के माध्यम से **अनुलग्नक 1(A)** में वर्णित अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क में परिवर्तन कर सकेगा।

7. अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया।—

(i) अनुज्ञप्ति के पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि —

(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई, इसके किसी भी निदेशक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर को विज्ञापन व्यवसाय करने हेतु शपथ पत्र देना होगा कि किसी भी भागलपुर नगर निगम अथवा किसी भी अन्य सरकारी संस्था द्वारा वंचित न किया गया हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)।

(ख) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई, इसके किसी भी निदेशक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर के ऊपर किसी भागलपुर नगर निगम के द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का बकाया ना हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)।

(ग) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई के द्वारा विज्ञापन से संबंधित शुल्क का भुगतान लंबित ना हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)

(घ) यदि किसी विज्ञापनकर्ता द्वारा इस (संशोधित) नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी नगर निकाय के अधीन विज्ञापन प्रकाशन हेतु आदेश लिया गया हो अथवा एकरारनामा किया, गया हो, तो वह आदेश/एकरारनामा दिनांक 31.12.2025 तक वैद्य होगा। जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता को इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आनिवार्य होगा।

(ii) नियम 7 (i) में वर्णित बिन्दुओं को संज्ञान में रखने के बाद विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई को एक यूनिक आई डी निर्गत किया जायेगा।

(iii) अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लेनी होगी। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जायेगा।

(iv) आवेदन के साथ ही अनुज्ञप्ति शुल्क ऑनलाईन माध्यम से देना होगा।

(v) अनुज्ञप्ति शुल्क की वैद्यता की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर विज्ञापनकर्ता को नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में नवीकरण नहीं कराने पर अगले 30 दिनों तक सौ रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माने के साथ विभाग द्वारा नवीकरण किया जायेगा। इसके उपरांत विभाग अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) (क) वैसे निजी भूमि/भवन को विज्ञापन के लिए अनुज्ञा (Permission) दिया जायेगा, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका भवन उप विधि (Building Bye Laws) के प्रावधान के आलोक में निजी भूमि/भवन पर होल्डिंग कर का नियमित रूप से भुगतान करता हो।

स्पष्टीकरण – स्ट्रक्चरल फिटनेस (Structural Fitness) एवं अन्य शर्तों के संदर्भ में समय–समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) विभाग द्वारा निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन के लिए अनुज्ञा शुल्क (Permission Fee) के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण किया जायेगा। सड़कों के वर्गीकरण के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्रति वर्ग फुट की दर से अनुज्ञा शुल्क (Permission Fee) की गणना की जायेगी।

परन्तु यह अनुज्ञा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क से न्यून नहीं होगा (निजी भूमि/भवन पर अनुज्ञा शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण **अनुलग्नक– 1(B)** में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से **अनुलग्नक–1(B)** में वर्णित निजी भूमि/भवन पर अनुज्ञा शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:– विज्ञापनकर्ता को निजी भूमि /भवन पर पूर्व से लगे हुए विज्ञापन के लिए अनुज्ञा शुल्क इस नियमावली के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के बाद देना होगा।

(vii) विज्ञापन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) एवं प्रत्येक नगर निकाय में एक पृथक कोषांग गठित होगा।

8. विज्ञापन हेतु आवेदन के लिए अभिलेख।–

(i) नियमित विज्ञापन परमिट हेतु आवेदन–

(क.) आवेदक एजेंसी को निर्धारित प्रपत्र मे अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

(ii) विज्ञापन करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज–

(क) जिस भवन/भूमि (नगर निगम को छोड़कर) पर विज्ञापन को प्रदर्शित किया जाना प्रस्तावित है, उस भूमि/भवन के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी से प्राप्त है, तो सामान्य निकाय की बैठक में विधिवत पारित प्रस्ताव की प्रति, जो सोसाइटी के ऑडिटर द्वारा प्रमाणित की जाती है, संलग्न करना होगा।

(ग) विज्ञापन एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति बॉन्ड सह उपक्रम संलग्न करना होगा।

(घ) लोकेशन की मुख्य योजना की दो प्रतियाँ जो 1 ईंच : 2500′ के माप में एवं ब्लाक योजना जो 1 ईंच : 250′ के स्केल का हो (जहाँ यह लागू हो)।

(ड़) डिजाईन एवं रंग योजना तथा रखेा चित्र (स्कचे) की दो प्रतियाँ जिनमे प्रस्तावित स्थान का सही लोकेशन दिखाया गया है तथा जिसमें कंप्यूटर पर तैयार डिजाईन, इमजे तथा बाह्य प्रकाशीय स्थिरीकरण आदि को दर्शाया गया हो (जहाँ यह लागू हो)।

(च) 10 गुणा 8 ईंच आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ जो प्रस्तावित स्थल से 60 मीटर की दरूी से ली गई हों तथा जिसमें प्रस्तावित होर्डिंग का निशान उपयुक्त स्थान पर अंकित हो (जहाँ यह लागू हो)।

(छ) स्थल योजना (लोकेशन प्लान) की दो प्रतियाँ जिसमे प्रस्तावित स्थल से 50 मीटर के अन्दर मौजूद पेड़ों एवं अन्य किसी होर्डिंग को उसी संरखेण सीध एवं उसके विस्तार को दिखाया गया हो। मालिकों का विवरण, यदि ज्ञात हो (जहाँ यह लागू हो) दिया जायेगा।

(ज) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जहाँ आवश्यक हो।

(झ) संरचनात्मक डिजाईन/योजना तथा साथ में संरचनात्मक डिजाईन की गणना जो अधिकृत संरचना अभियंता से अनुमोदित हो।

(त) होर्डिंग/यनूीपोल एवं अन्य अन्य विज्ञापन संरचना के लिए (जहाँ यह लागू हो) निर्माण स्थिरता का प्रमाण पत्र/फिटनसे प्रमाण पत्र जो अधिकृत संरचना अभियतां से प्राप्त हो

(थ) अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाली एजेंसी को (जहाँ यह लागू हो) बिहार दूकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा।

(द) होर्डिंग निर्माण की संरचनात्मक डिजाइन/योजना (जहाँ यह लागू हो)।

9. बोली लगाने की प्रक्रिया।–

(क). नगर निगम अपने–क्षेत्र को विभिन्न जोनों में वर्गीकृत करेंगे, जिसे नगर निगम द्वारा इस नियमावली की अधिसूचना से एक महीने के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

(ख). इस नियमावली की **अनुसूची–1** में विज्ञापन की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। नगर निगम प्रत्येक क्षेत्र के लिए विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक ई–निविदा/ई माध्यम से बोली जारी करेगी। विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए ई–निविदा/ई– बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग फुट की दर निर्धारित किया जायेगा। किसी भी क्षेत्र के लिए किसी विशेष श्रेणी के विज्ञापन के लिए उच्चतम प्रति वर्ग फुट दर के साथ बोली लगाने वाले को विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु यह विज्ञापन दर विभाग द्वारा निर्धारित प्रति वर्ग फुट से न्यून नहीं होगा (विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण **अनुलग्नक–1** में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम

से **अनुलग्नक 1** में वर्णित विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।

(ग). विज्ञापन प्रदर्षित करते समय, विज्ञापनदाता इन नियमों में उल्लिखित सभी प्रासंगिक मानदडों को पूरा करगेा।

(घ). कोई भी विज्ञापनदाता एक से अधिक क्षेत्रों और एक से अधिक श्रेणी/प्रकार के विज्ञापन के लिए बोली प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

(ड) ई–बोली की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल/ई–प्रोक (e-Proc) के माध्यम से की जाएगी।

(च). ई–निविदा/ई माध्यम से बोली कम से कम दो दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों यथा नगर निगमों के लिए तीन दैनिक राज्य समाचार पत्रों जिसमें से एक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र, नगर परिषदों के लिए तीन दैनिक राज्य समाचार पत्रों एवं नगर पंचायत के लिए दो दैनिक राज्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। व्यापक पहुँच और भागीदारी के लिए ई बोली का समय न्यूनतम 21 दिन होगा।

(छ). अपवाद–बसों/ऑटो/टैक्सी या किसी अन्य वाहनों के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्षित करने के लिए, सिनेमा हॉल के माध्यम से विज्ञापन और स्थानीय केबल टीवी जोनिंग मानदंड के माध्यम से विज्ञापन लागू नहीं होगा। वाहनों पर विज्ञापन के लिए बोली लगाने के लिए पूरे नगर निकाय को एकल क्षेत्र के रूप में मानते हुए बोली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। स्थानीय केबल टीवी के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्षित करने के लिए दरें **अनुसूची 2** में निर्धारित की गई है। सिनेमा हॉल, छाता विज्ञापन और ऑडियो सिस्टम के माध्यम से विज्ञापन के लिए दरें संबंधित नगर निकाय द्वारा इस नियमावली की अधिसूचना के एक महीने के भीतर तय की जाएंगी। इस नियमावली के अन्य सभी प्रासंगिक मानदडं इस प्रकार के विज्ञापन पर लागू होंगे।

10. बोली लगाने के लिए आधार दर का निर्धारण।–

क. नगर निगम (स्थानीय केबल टीवी में विज्ञापनों, अम्ब्रेला विज्ञापन, ऑडियो सिस्टम के माध्यम से विज्ञापन को छोड़कर) प्रत्येक जोन के लिए विज्ञापन की सभी श्रेणियों के लिए आधार दर का निर्धारण करेगी, जैसा कि **अनुसूची–1** में उल्लेखित है।

ख. प्रत्येक जोन के लिए विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए आधार दर इस नियमावली का अधिसूचना निर्गत के एक माह बाद नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तय किया जायेगा।

11. विज्ञापन की स्वीकृति।–

(i) सफल बोलीदाता संबंधित क्षेत्र में अपने द्वारा लगाये जानेवाले सभी विज्ञापनों की जनकारी नगर निगम को प्रस्तुत करगेा।

(ii) आवेदन पत्र इस नियमावली के अनुसार दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा।

(iii) विज्ञापन के लिए आवेदन का मूल्यांकन करते समय, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित करेगा :–

क. कि आवेदन इस नियमावली और अधिनियम के अनुपालन में है।

ख. यह कि आवेदन किसी न्यायालय के किसी निर्देष के उल्लंघन में नहीं होगा।

(iv) सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेकाधिकार में सफल बोलीदाता द्वारा बनाए जानेवाले किसी विषेष विज्ञापन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि वह इस नियमावली के किसी भी खंड का उल्लंघन करता है।

(v) बोली प्रक्रिया द्वारा निर्धारित विज्ञापन की दर के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी विज्ञापनदाता द्वारा बनाए जानेवाले विज्ञापन के कुल मूल्य की गणना करेगा।

(vi) सक्षम प्राधिकारी, नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आवेदक को अपने निर्णय की सूचना देगा।

(vii) सफल बोलीदाता/विज्ञापनदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिकलित विज्ञापन शुल्क की कुल राषि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से सूचना के बाद 15 दिनों के भीतर करेगा।

(vii) किसी आवेदन के मूल्यांकन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई कोई भी अनुमति विज्ञापनदाता

द्वारा कम से कम तीन महीने से पहले वापस नही ली जाएगी।

12. विज्ञापन उपकरण की विभिन श्रेणी की अनुमति।–

इसके साथ संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार।

13. विज्ञापन उपकरण की विभिन्न श्रेणी के लिए विशिष्ट शर्त्तें।–

इसके साथ संलग्न अनुसूची–2 के अनुसार।

14. विज्ञापन और सड़क सुरक्षा मानदंड।–

विज्ञापन युक्ति को यातायात के लिए खतरा माना जा सकता है और इसकी स्थापना और प्रदर्शन की अनुमति को अस्वीकार किया जाएगा–

- यदि विज्ञापन संरचना तय मानकों के अनसुार नहीं है और उसका फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।
- यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात में हस्तक्षेप करता है।

15. विज्ञापन और कलात्मक मानदंड–

एक विज्ञापन उपकरण को कलात्मक की दृष्टि से खराब माना जाएगा और इसकी स्थापना एवं प्रदर्शन की अनुमति को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि–

- यह प्रकृति और इसके तत्वों जैसे आकाश, पेड़, प्राकृतिक दृश्य, नदियों, तालाबों आदि को बाधित करता है।
- इसे नियमित आधार पर विज्ञापनदाता द्वारा साफ–सुथरा नहीं रखा जाता और और इसकी कलात्मकता संधारित नहीं की जाती है।
- यदि यह सक्षम प्राधिकारी के जानकारी अनुसार कलात्मक मानदंडों को पूरा न करताहो।

16. विज्ञापन और भौतिक मानदंड–

विज्ञापन उपकरणों की भौतिक विशेषताओं का नियत्रंण निम्नानुसार होगा–

- कोई भी विज्ञापनकर्ता, ट्रैफिक सिग्नल के रंगों और ट्रैफिक साइन आकृतियों का उपयोग नहीं कर सकता है जिन्हें अधिकारिक ट्रैफिक साइन की तरह समझना संभाव्य हो।
- विज्ञापन में चमकते हुए लाल, नीले या एम्बर रंग, साथ ही रोड साइन के लिए प्रैक्टिस कोड आई0आर0सी0 : 67–2001 या इसके आगे के संशाधेन, इंडियन रोड्स कांग्रेस द्वारा आधिकारिक ट्रैफिक संकेतो के बुनियादी डिजाइन मापदडों को निर्धारित करते हैं और इसमें मानक किंवदंती/पृष्ठभूमि संयोजन शामिल हैं, का इस्तेमाल नहीं कर सकते है।
- प्रकाश स्रोत, जो सड़क से देखे जाने पर, एक आपातकालीन सेवा या अन्य विशेष प्रयोजन वाहन के चेतावनी प्रकाश (वार्निंग लाइट) के जैसे दिख सकते हैं।
- विज्ञापन उपकरण से जुड़े सभी प्रकाश व्यवस्था केवल विज्ञापन युक्ति और इसके समीपवर्ती क्षेत्र पर ही केन्द्रित होंगे।
- बाहरी रोशनी स्रोतों को इस तरह से परिरक्षित किया जाएगा जिससे इसके "बाहरी स्पॉट" से निकलने वाला प्रकाश स्रोत आने वाले मोटर चालकों पर केन्द्रित नहीं हो।
- विज्ञापन युक्ति का प्रकाश छुपा हुआ हो या इसका अभिन्न अंग हो।
- साईंन से बाहर प्रकाश के फैलाव को हटाने अथवा कम करने हेतु युक्ति से ऊपर की आरे निकलने वाले प्रकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं किसी भी बाहरी प्रकाश की दशा नीचे की तरफ होनी चाहिए जो सीधा साईंन पर केन्द्रित होना चाहिए।
- किसी भी प्रकाश स्रोत को परिरक्षित किया जाएगा ताकि प्रकाश की चमक विज्ञापन उपकरण से आगे न बढ़े।
- रात के 12 बजे के बाद एव सूर्योदय के बीच में स्वचालित टाइमिंग युक्तियों के माध्यम से प्रकाश के औसत ल्युमिनांस को 0.5 कैंडला तक कम या पूर्णतः बंद कर देना होगा।
- शहरों की सीमाओं के भीतर गैर–स्थिर प्रकाशयुक्त विज्ञापन युक्तियों (चमकती/फ्लैशिंग रोशनी) की अनुमति नहीं है।
- श्रेणी 1 विज्ञापन युक्तियो ं के सारांश के अलावा नगर निगम क्षत्रे में परिवर्तनशील (वेरिएबल) संदशे विज्ञापन युक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इन सभी से किसी वाहन चालक के बाहरी स्टिमुली की प्रतिक्रिया के समय पर सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण विचलन होता है इसलिए, परिवर्तनशील (वेरिएबल) मैसेज विज्ञापन युक्तियाँ एलईडी/एलसीडी स्क्रीन को नगरपालिका प्राधिकार द्वारा मामले के आधार पर अनुमति दी जाएगी।
- यह अनुमति मानदडं सड़क प्राधिकार के द्वारा यातायात प्रबधं ान के लिए या अन्य कॉर्पोरेट सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनशील संदशे प्रदर्शित करने के लिए लागू नहीं है। बस स्टॉप अथवा सामान जगहें जहाँ सन्देश पैदल चलने वालों पर केन्द्रित हों अथवा अभिप्रेत हों को छूट प्राप्त है।

17. विज्ञापन और सामग्री मानदंड।–

(i) सक्षम प्राधिकारी किसी भी विज्ञापन उपकरण को संशोधित करने या हटाने की कार्रवाई कर सकता है यदि वह निम्नलिखित नकारात्मक विज्ञापनों या यातायात के खतरे का कारण बनते है–

नकारात्मक विज्ञापन की सूची–

(क) नग्नता

(ख) नस्लीय विज्ञापन या विज्ञापन जो जातीय सम्प्रदाय अथवा जातीय मतभेद को बढ़ावा देते हो।

(ग) मादक द्रव्य, शराब, सिगरेट या तम्बाकू को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन।

(घ) महिलाओं या बच्चे के शोषण को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन।

(ङ.) यौन ओवरटोन वाले विज्ञापन।

(च) जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाने वाले विज्ञापन । किसी राष्ट्र या संस्थान की प्रतिष्ठा को आंच पहुँचने वाले विज्ञापन।

(छ) किसी भी ब्रांड या व्यक्ति पर व्यंग्य या आलोचनात्मक टिप्पणी वाले विज्ञापन।

(ज) किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन।

(झ) हिंसा का महिमा मंडन करने वाला विज्ञापन।

(ञ) विनाशकारी उपकरणों और विस्फोटक वस्तुओं के चित्रण का विज्ञापन।

(ट) मनोविक्रितकारी (साइकेडेलिक), लेजर या गतिमान प्रदर्शन (मूविंग डिस्प्ले) का प्रदर्शन, हथियारों या संबंधित वस्तुओं (जैसे, बन्दूक के पुर्जों और पत्रिकाओं, गोला–बारूद आदि) का विज्ञापन।

(ठ) विज्ञापन जो कि मानहानि, व्यापार के लिए अपमानजनक, गैरकानूनी रूप से धमकी देने या गैरकानूनी रूप से परेशान करने वाले हों।

(ड) विज्ञापन जो अश्लील हों या उनमें अश्लील साहित्य हो या महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को दर्शाते हो।

(ढ़) विज्ञापन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी वस्तुओं था सेवाओं से जुड़ा हुआ है या इसमें ऐसी वस्तुओं का विवरण शामिल है जो की भारत में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध हैं, जिसमे सम्मिलित पर सीमित नहीं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, और भारतीय दंड संहिता, 1860 भी आते हैं।

(ii) कोई भी अन्य विज्ञापन जो की नगर निकायों द्वारा अक्षम माना गया हो–

(क) सभी श्रेणियों (श्रेणी 3 और कुछ श्रेणी 4 उपकरणों को छोड़कर जो पैदल यात्रियों पर केन्द्रित हो) के विज्ञापन युक्तियों की सतह पर लिखी सामग्री वाहन चालकों को आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। इससे वाहन चालक के ध्यान में कम से कम भटकाव होगा। इसके अतिरिक्त कोई साईन देखने वाले के लिए जल्दी एवं आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए जिससे की देखने वाला विज्ञापन का मतलब समझ जाये एवं उसके ध्यान के भटकाव की अवधि कम हो ।

(ख) विज्ञापन युक्ति पैनल पर प्रदर्शित सामग्री या ग्राफिक ले आउट पर मुश्किल से पठित एवं जटिल अक्षराकृत एवं सामग्रियाँ जिन्हें याद करने की जरुरत हो, नहीं लगाना चाहिए। किसी भी स्थिति में युक्ति पर जानकारियाँ ऐसे अक्षर के आकार में ना हों जिसकी वजह से चलते वाहन के चालक अथवा यात्रियों को रुकना पड़े, पढना एवं लिखना पड़े, जो की यातायात परिचालन को बाधित करेगा और वाहन चालक के

ध्यान को भटकाएगा।

(ग) एक सामान्य नियम के रूप में, सभी संकेतों को एक ऐसे अनुपात में डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे की अक्षर को साइन क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक पर न लिखा गया हो।

(iii) "अल्पसूचित विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित नगर निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित नगर निकाय उप नियम (i) एवं (ii) में निषिद्ध मामलों को छोड़कर 48 घण्टे के भीतर अल्पसूचित विज्ञापन की जाँच करते हुए अनुमति प्रदान करेगा या सकारण अस्वीकृत करेगा। निर्धारित अवधि में समुचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में स्वतः अनुमति मानी जायेगी।"

18. विज्ञापन और संरचना मानदंड।–

विज्ञापन युक्ति की संरचनाएँ जिसमे आधार शामिल है, को अत्यधिक हवा की स्थिति, भूकंप ,मिट्टी की बेअरिंग क्षमता आदि के लिए डिजाईन एवं जाँच की जाएगी और यह प्रासंगिक भारतीय संरचनात्मक डिजाइन मानक, अभ्यास के कोड और संबंधित नियमों का अनुपालन में होगा। डिजाइन एक अनुभवी और संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उक्त प्रमाण पत्र को स्थल पर काम शुरू करने से पहले अनुमोदन के लिए नगर निगम को जमा किया जाएगा।

चकाचौंध को रोकने के लिए सहायक संरचना में गैर–प्रतिबिंबित फिनिशिंग लगाना होगा। डिवाइस संरचना को हर समय अच्छी तरह से संधारित रखा जाएगा। यह उन रंगों में चित्रित किया जाएगा जो कलात्मकता की आवश्यकता के अनुरूप हैं, और आसपास के क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हो एवं जो इस नियमावली में पहले से निर्धारित रंगों के मानदडं के अनुरूप होंगे।

अधिकारिक सड़क फर्नीचर जैसे आधिकारिक संकेत और डेलीनेटर गाइड–पोस्ट का उपयोग विज्ञापन उपकरण की सहायक संरचना के रूप में नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन एजेंसी का नाम डिवाइस पर एक विशिष्ट स्थिति में लिखा जाना चाहिए।

19. विज्ञापन और विद्युत् कनेक्शन।–

सभी विज्ञापन युक्तियों में विद्युत् कनेक्शन और घटक प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे कि कोई सुरक्षा या यातायात जोखिम न हो। विद्युत ठेकेदार के परीक्षण प्रमाण पत्र की एक प्रति नगर निगम को प्रदान की जाएगी। डीजल/पेट्रोल/केरोसिन या किसी जैव ईंधन पर चलने वाला कोई भी जेनरेटर का प्रयोग जिससे की ध्वनि, वायु या जल प्रदूषण की सम्भावना हो, किसी भी विज्ञापन युक्ति की रोशनी के लिए बिजली प्रदान करने के लिए नहीं किया जायेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली देना–बिजली के संरक्षण को बढ़ावा दने के लिए, सभी बाहरी विज्ञापन उपकरणों पर रोशनी, सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक नवीकरणीय संसाधनों से बिजली आपूर्ति

करने वाले ऊर्जा–बचत प्रस्तावों को नगर निगम द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन शुल्क पर 5 प्रतिषत छूट देगी।

20. वापसी और संशोधन।–

(i) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 145 के तहत कोई भी अनुमति अमान्य होगी–

क. यदि विज्ञापन बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या

ख. यदि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विज्ञापन या उसके किसी भाग में कोई सामग्री/प्रकार में परिवर्तन किया जाता है, या

ग. यदि विज्ञापन या उसका कोई भाग दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से गिरता है, या

घ. यदि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी कार्य के कारण, विज्ञापन को विस्थापित किया जाना आवश्यक है।

(ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई अनुमति को वापस लेने या किसी भी शर्त को संशोधित करने और शर्त लगाने की शक्ति होगी। यदि, सक्षम प्राधिकारी की राय में, संबंधित विज्ञापन–

क. यदि विज्ञापन पर्यावरण की प्रकृति अथवा आस पड़ोस की सुविधाओं, गलियों या शहरी डिजाइन में बदलाव की वजह से अपने आकार, रोशनी की तीव्रता, डिजाइन की गुणवत्ता, कारीगरी, सामग्री या उसके अस्तित्व के कारण उस क्षेत्र के लिए खतरनाक हो जाये जहाँ इसे स्थापित किया गया है।

ख. यदि, विज्ञापन किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा बन गया हो अथवा उत्पन्न करता हो।

ग. यदि,महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता, वास्तुकला की विशेषता या वास्तु, ऐतिहासिक या हेरिटेज महत्त्व के स्थलों के दृश्य लाइन में बाधा बन रहा हो।

घ. इस नियमावली या किसी अन्य कानून के संदर्भ में निषिद्ध हो गया हो।

ङ. दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उसका हिस्सा गिर जाता है।

च. सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर इसे सुरक्षित बनाने के उद्देश्य को छोड़कर किसी प्रकार का अतिरिक्त जुड़ाव।

छ. उसके बाद कोई परिवर्तन हुआ हो।

ज. इमारत या संरचना या संपत्ति को ध्वस्त या नष्ट कर दिया गया हो और

झ. किसी अन्य साइट/स्थान से संबंधित है, जैसा कि नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक हित, सुरक्षा, कलात्मकता आदि के लिए तय किया गया हो।

(iii) विज्ञापन को हटाते समय होने वाला खर्च को एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा और जब्त विज्ञापन युक्ति के वापस किये जाने के समय वसूल किया जाएगा।

21. विज्ञापन के लिए सामान्य आवश्यकता।–

क. होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली एजेंसी, होर्डिंग के कोने पर उचित आकार में (जिसे आसानी से देखा जा सकता है) विज्ञापन एजेन्सी का नाम, आवंटित अनुज्ञप्ति संख्या एवं अनुज्ञप्ति समाप्ति के तिथि, महीने एवं वर्ष को प्रदर्शित किया जाना

अनिवार्य होगा।

ख विज्ञापन के रखरखाव के लिए आवश्यक कार्य को छोड़कर, अनुमोदन के पश्चात, सक्षम प्राधिकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, विज्ञापन को परिवर्तित, हटाया या उन्नत नहीं कया जायेगा।

ग. विज्ञापन के संचालन के लिए विद्युत कंडक्टर वाले प्रत्येक पावर केबल और नली (conduit) को इस तरह से रखा एवं जोड़ा जायेगा जिससे की यह भद्दा न दिखे।

घ. बिजली आपूर्ति प्राधिकरण/बिजली वितरण कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन किसी भी बिजली की आपूर्ति से नहीं जोड़ा जायेगा और इस अनुमति को अधिकृत अधिकारी की मांग पर संबंधित विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

ङ. सभी विज्ञापनों में विद्युत कनेक्शन और घटक, संदर्भित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइईएस) और भारतीय विद्युत नियम के अनुसार होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं हो।

च. विज्ञापन एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रदर्शन के लिए मीडिया सहित किसी भी प्रकार की सामग्री का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और अन्य लागू कानूनों/नियमों/विनियमों के अनुसार किया गया है।

22. विज्ञापनों का निषेध।—

क. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 के तहत, कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन जो किसी जमीन, भवन, दीवाल, टट्टी, फ्रेम, छत्री, ढांचा, गाड़ी, नीयन अथवा आकाशीय चिह्न के ऊपर या पर नगरपलिका के क्षेत्र के अंतर्गत किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोक दृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी निम्नलिखित के लिए अनुमति प्रदान नहीं करेगा यदि–

1. यदि विज्ञापन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किसी नियमावली या विनियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, या
2. विज्ञापन के संबंध में बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया गया है।

ख. कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना, रेडियो या टेलीविजन पर विज्ञापन को छोड़कर किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा।

ग. इस नियमावली में व्यक्त या निहित किसी भी अन्य निषेध के अलावा, कोई भी व्यक्ति विज्ञापन को इन स्थानो में प्रदर्शित नहीं करेगा :—

1. राष्ट्रीय उद्यान, जिला वन और जल निकाय।
2. ऐतिहासिक स्मारक, श्मशान, कब्रिस्तान और खंडहर।
3. विश्व हेरिटेज क्षेत्र।
4. लुप्तप्राय क्षेत्रीय इकोसिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र।
5. धार्मिक स्थानों के भीतर, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि।

(उपरोक्त प्रतिबंधों के अपवाद विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञापन युक्तियों को एक क्षेत्रीय पर्यटन योजना के हिस्से के रूप में पर्यटक सेवा/आवास व्यवसायों के

लिए अनुमति दी जा सकती है। दुर्लभ एवं अपवाद मामलों में नगर निगम मामलों के आधार पर विचार कर सकेगी।

घ. कोई भी व्यक्ति नगर निगम द्वारा स्थापित एवं नगर निगम द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी युक्ति, चिह्न पत्र या शब्दों को विकृत नहीं करेगा। ऐसे किसी भी कृत्य के लिए बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

ड. इस नियमावली में व्यक्त या निहित किसी भी अन्य निषेध के अलावा, सक्षम प्राधिकार के द्वारा विज्ञापन में नकारात्मकता दिखाने वाले या व्यक्त करने वाले विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

च. दुकान की लंबाई से परे किसी साइनेज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. निरीक्षण।–

क. सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस नियमावली के कार्यान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी विज्ञापन का निरीक्षण किया जायेगा।

ख. सक्षम प्राधिकार द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण के लिए नामित अधिकारी के रूप में अपनी निरीक्षण का लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

24. विज्ञापन का रखरखाव और अनधिकृत विज्ञापन को हटाना।–

(i) इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन–

क. विज्ञापन एजेंसी युक्ति एवं इसके आसपास के क्षेत्र के रखरखाव के लिएजिम्मेदार हैं ताकि यह भद्दा या इस हद तक विकृत न हो जाए कि यह इस नियमावली के किसी प्रावधान के साथ असंगत हो जाय।

ख. विज्ञापन एजेन्सी को तीन महीने में कम से कम एक बार विज्ञापन का निरीक्षण करना होगा ताकि वह स्वयं को संतुष्ट कर सके कि यह सही तरीके से संधारित है एवं निरीक्षण के परिणामस्वरूप कोई आवश्यक मरम्मती करेंगे।

(ii) विज्ञापन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित नगर निगम के प्रतीक चिन्ह (logo) के साथ एक सूचना पट्ट (एक फीट गुणा एक फीट), जिस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा दिए गए अनुमति एवं विज्ञापन के विवरण, जैसा की सक्षम प्राधिकार द्वारा अपेक्षित है, को प्रदर्शित एवं अच्छी हालत में हर समय संधारित करेंगे। ऐसा करने में विफल होने के परिणामस्वरूप नियमावली में विनिर्दिष्ट शास्ति लगायी जाएगी।

(iii) किसी भी स्थान, संपत्ति, वाहन, पुल, भवन इत्यादि पर स्थापित कोई भी अनधिकृत विज्ञापन युक्ति को हटा दिया जाएगा। किसी भी उल्लंघनकर्ता या अनधिकृत युक्ति के प्रति कोई भी उदारता नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा, किसी भी अनधिकृत युक्ति को हटाने के दौरान, ऐसे युक्तियों को हटाने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसे ट्रैफिक के खतरे अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से खराब होने के रूप में माना जाता है।

(iv) यदि विज्ञापन युक्ति से ट्रैफिक को खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो ऐसे विज्ञापन उपकरण को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

(v) कम मूल्य के विज्ञापन युक्तियों को तुरंत हटाया और निष्पादित किया जायेगा। ये आमतौर पर गाइड पोस्ट, पावर पोल, प्रकाश स्तंभ और पेड़ों से जुड़े होते हैं और कार्ड बोर्ड या कॉनफ्लैट जैसे कम लागत वाली सामग्रियों से निर्मित होते है।

(vi) जहां अनधिकृत विज्ञापन को हटा दिया जाता है, उसे नगर निगम द्वारा तुरतं निष्पादित किया जायेगा। हटाने में उत्पन्न लागत और अतिरिक्त शास्ति के भुगतान के बाद ही एजेन्सी विज्ञापन युक्ति वापस ले सकेगा।

(vii) बिना अनुमति के विज्ञापन के उद्देश्य से वाहन पर स्थापित विज्ञापन, जहाँ पंजीकृत मोटर वाहन या ट्रेलर को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्क किया जाता है, वैसे वाहन के पंजीकरण को रद्द करने हेतु परिवहन विभाग के प्राधिकारियों को कहा जाएगा। वाहन स्वामी को जुर्माना या शास्ति के भुगतान करने के बाद ही वाहन को दिया जाएगा, अन्यथा वाहन को जब्त किया जा सकेगा और नियत समय पर जुर्माना न भरने पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन को निष्पादित कर दिया जायेगा।

25. अपराध और शास्ति।—

(i) यदि कोई भी इस नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह इस नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट जुर्माना/शास्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) यदि नियमावली के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है, तो नगर निगम के सक्षम प्राधिकार के पास विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी। विज्ञापन हटाते समय होने वाला खर्च का वहन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(iii) यदि किसी भी एजेन्सी ने पूर्व अनुमति के बिना कोई विज्ञापन निकाला है या अनुमोदन के समय विनिर्देश के साथ मेल नहीं खाता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

(iv) स्व–विज्ञापन के मामले में, यदि विज्ञापन एजेन्सी ने अपना स्वयं का एक विज्ञापन प्रदर्शित किया है, जो बिल्डिंग लाइन पार करता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

(v) स्व–विज्ञापन के मामले में, यदि विज्ञापन एजेन्सी ने स्वयं के अलावा कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया है तो उसे नगर निगम से अनुमति लेनी होगी और नियमावली के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि विज्ञापन एजेन्सी अनुमति के बिना अपने स्वयं के अलावा किसी अन्य विज्ञापन को स्थापित करता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम

2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

(vi) यदि एजेंसी या स्वामी जुर्माना लगाने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

(vii) शास्ति विज्ञापन युक्तियों की 1–4 की सभी श्रेणियों पर लागू होंगी।

(viii) दूसरे उल्लंघन के मामले में, विज्ञापन एजेन्सी पर सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

(ix) तीसरे उल्लंघन के मामले में विज्ञापन एजेन्सी पर सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।

26. प्रलेखन।–विज्ञापन एजेन्सी विज्ञापन उपकरण के प्रदर्शन के लिए अनुमोदन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ उस अवधि तक रखेगा, जब तक कि विज्ञापन को स्थापित अथवा प्रदर्शित किया जायेगा, और प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करेगा।

27. नोटिस का तामिला।–

(i.) इस नियमावली के संदर्भ में या इसके लिए आवश्यक किसी भी नोटिस को निम्न में से किसी भी तरीके से दिया जा सकता है।:–

1. संबंधित विज्ञापन एजेंसी के अंतिम पते पर पंजीकृत या डाक प्रमाण पत्र द्वारा नोटिस की एक प्रति भेजकर एवं जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जायेगा कि जिस दिन दस्तावेज को डाक से भेजा गया था उस दिन से सातवें दिन के बाद नोटिस दिया जा चुका है।
2. यदि विज्ञापन एजेन्सी ने लिखित रूप में नगर निकाय को फैक्स नंबर दिया गया है, तो नोटिस की एक प्रति फैक्स करके,
3. पंजीकृत ई–मेल आईडी पर ई–मेल के माध्यम से नोटिस भेजकर और,
4. स्वामी या एजेंसी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की एक प्रति सौंपकर।

28. क्षतिपूर्ति।–विज्ञापन एजेंसी को नगर निगम के सभी कार्यों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, नुकसानों, क्षति और खर्चों के विरुद्ध निर्दिष्ट विज्ञापन और गतिविधियों के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी, जो नगर निगम के विरुद्ध उत्पन्न किए गए हो। विज्ञापन की स्थापना या अस्तित्व के कार्य के परिणामस्वरूप, विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन या प्रदर्शन से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के कारण या किसी भी चोट या क्षति पहुँचाने के लिए हमेशा जिम्मेदार होगी और परिणामी दावा पंजीकृत संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा, जो नगर निगम के कर्मचारियों या नगर निगम द्वारा नियोजित नियुक्त कोई भी संस्था को भी क्षतिपूर्ति और सुरक्षित करेगा।

29. निर्वचन –

(i) इस नियम के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी भी अस्पष्टता या भिन्नता के मामले में, इस नियम के अग्रंजी संस्करण का प्रावधान लागू होगा।

(ii) यदि इन नियमों में से किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन के रूप में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामला नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

30. भुगतान की विधि ।–अनुज्ञप्ति/नवीकरण/विज्ञापन या अन्य शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

31. अपील। – नगरपालिका एवं विज्ञापन एजेंसी के बीच विवाद की स्थिति में निपटारा के लिए अपील हेतु सक्षम प्राधिकार भागलपुर प्रमण्डलीय आयुक्त होगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।